

# आवास: पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास



फोटो साभार: आई आई एच एस


आवास विषयगत का हिस्सा, यह तथ्य पत्रक दिल्ली में पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास पर है। यह दृढ़तापूर्वक सिफारिश की जाती है कि एम पी डी '४१ द्वारा अपनाया गया आवास के लिये दृष्टिकोण नए शहरी रूपों का गठन एवं स्थान पर पुनर्वास करना होना चाहिए, और अन्य स्थानों पर पुनर्वास अस्थिरता जैसे चरम मामलों में अंतिम विकल्प होना चाहिए। यह तथ्य पत्रक उन मुद्दों पर प्रकाश डालता है जो की पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास की मौजूदा प्रथाओं से उत्पन्न होती है, और यह सुझाव देता है कि पात्रता, सामुदायिक जुड़ाव, पुनर्वास की रसद, वित्त की पहुंच में सहायता जैसे सिद्धांतों पर ध्यान दिया जाए। इसके अलावा, हम इस बात पर ज़ोर देते हैं कि पट्टा सुरक्षा, वित्त का उपयोग करने की क्षमता, आजीविका और बुनियादी सेवाओं में निकटता आवश्यक होनी चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि पुनर्वास के माध्यम से बनाया गया आवास रहने योग्य है।

मैं भी दिल्ली एक जन अभियान है जो एक अधिक समावेशी शहर की कल्पना करने और उस कल्पना को सक्षम करने का लक्ष्य रखता है। यह नागरिक समाज संगठनों, कार्यकर्ताओं, शोधकर्ताओं और अन्य लोगों का एक समूह है जो आवास, आजीविका, लिंग और अन्य अधिकारों के विभिन्न मुद्दों पर काम करते हैं।

# शहर में पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास

जे जे क्लस्टर और स्लम निर्दिष्ट क्षेत्रों के रूप में अधिसूचित क्षेत्रों के निवासियों को जे जे पुनर्वास कालोनियों के रूप में संदर्भित क्षेत्रों में स्थानांतरित किया जाता है ताकि जे जे समूहों द्वारा ढकी गई भूमि को राज्य द्वारा समझे गए उद्देश्यों में उपयोग के लिए सक्षम किया जा सके। दिल्ली ने पुनरुत्थान की तीन लहरों को देखा है जिस में शहर उपनगर के परिधि के स्थानों में, जे जे उपनिवेशों के मूल स्थान से दूर, पुनर्वास कॉलोनियों की स्थापना हुई। कुल ५५ पुनर्वास कॉलोनियां अब मौजूद हैं। दिल्ली के तीन मास्टर प्लान के अंतर्गत पात्रता मानदंड एवं मुआवजा देने की शर्तें बदल गई हैं।

Delhi's Resettlement Sites: Moving Towards the Periphery



Sources: HLRN

लहर १

१९६० - १८ पुनर्वास  
कालोनिया

लहर २

१९७० - २६  
पुनर्वास कालोनिया

लहर ३

२००५-०६ - ११ पुनर्वास  
कालोनिया

## वर्तमान स्थिति

मार्च 2019 में दिल्ली उच्च न्यायालय ने शकूर बस्ती के निवासियों के लिए अजय माकन की २०१५ की याचिका के जवाब में फैसला सुनाया। यह निर्णय झूसिब नीति की मुख्य विशेषताओं को कायम रखते हुए, एवं शहर के अधिकार पर ज़ोर देते हुए, इन मुख्य विशेषताओं के कार्यान्वयन को व्यवहार में लाने के लिये भी वज़नदार मोहर लगाता है।

पूर्व सूचना के बिना कोई निष्कासन नहीं, इस को कानून के विपरीत माना जाएगा।


जो प्रभावित हो रहे हैं उनके साथ सर्वेक्षण और परामर्श के बिना कोई निष्कासन नहीं।

आवास के अधिकार को अधिकारों की गठरी के रूप में समझना - आजीविका, स्वास्थ्य, शिक्षा, भोजन, पेयजल, मल-व्यवस्था और परिवहन

उचित सर्वेक्षण और पुनर्वास योजना (जो कि जो प्रभावित हो रहे हैं उनके परामर्श से तैयार की गयी हो) के बिना कोई निष्कासन नहीं।

अत्यधिक मौसम की स्थिति में या स्कूल के छात्रों की परीक्षाओं के करीब निष्कासन नहीं किया जाए।

# महत्वपूर्ण मुद्दे



# एम पी डी '४१ पुनर्वास के लिए क्या कर सकता है??

- 1 पुनर्वास केवल आखरी उपाय के रूप में -  
- पुनर्वास अंतिम उपाय होना चाहिए। एक सिद्धांत के रूप में कोई निष्कासन नहीं किया जाना चाहिए और स्थान पर उन्नयन को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
- 2 कट-ऑफ तिथि और दस्तावेज़ से जुड़े प्रतिबंधों में आराम  
- कट-ऑफ की तारीख में ढील दी जानी चाहिए। साथ ही निवास को प्रमाणित करने के लिए आवश्यक दस्तावेज़ दस्तावेज़ों की सूची में स्कूलों या नियोक्ताओं से मिले परिचय पत्र पर्याप्त होने चाहिए।
- 3 पात्रता और अयोग्यता का वर्ग-पुनर्निर्माण  
- पात्र और अपात्र की द्विद्वैतक श्रेणियों के बजाय विभिन्न पात्रताओं का एक वर्णक्रम पेश किया जाना चाहिए, ताकि कटऑफ तारीख के बावजूद पुनर्वास की प्रक्रिया किसी को भी न छोड़े। पुनर्वास के परिणामस्वरूप किसी को बेघर नहीं किया जाना चाहिए।
- 4 समुदाय की भागीदारी  
- सामुदायिक भागीदारी के साथ पुनर्वास की परिकल्पना की जानी चाहिए।  
- निवासियों से सुझाव लिया जाना चाहिए विशेष रूप से लाभार्थी पहचान में।
- 5 विशेष सहायता और प्रावधान  
- विकलांगों, महिला प्रधान परिवारों, बुजुर्गों और बीमारों के लिए विशेष सहायता और प्रावधान किए जाने चाहिए। ऐसे निवासियों की पहचान की जानी चाहिए और समुदाय के प्रतिनिधियों की सहायता और भागीदारी के माध्यम से उन से बात की जानी चाहिए।
- 6 वित्तीय योजना में सहायता  
एक बार में भुगतान तक सीमित ना रहकर वित्तीय विनिमय के अन्य समाधानों की कल्पना की जानी चाहिए जैसे:  
- ईएमआई  
- सामाजिक किराया  
- फ्लैट / प्लॉट गिरवी रखने की अनुमति देकर हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों, माइक्रोफाइनेंस संस्थानों और राज्य आधारित स्रोतों से ऋण।
- 7 बेहतर बस्ती-निवास योजना और रचना-नक्शा  
- पुनर्वास योजना में आजीविका को एकीकृत किया जाये।  
- जलवायु अनुकूली डिजाइन।  
- बुनियादी भौतिक ढांचों का प्रभावी प्रावधान - बिजली, पानी, स्वच्छता, मल निपटान।  
- पुनर्वास स्थान के उचित दूरी के भीतर सार्वजनिक सुविधाओं का प्रावधान - अस्पताल, विद्यालय, आंगनवाड़ी, पी डी एस (राशन), औषधालय।  
- एकीकृत सार्वजनिक परिवहन।
- 8 मौजूदा पुनर्वास कालोनियों के सुख साधन में सुधार हो  
- मौजूदा पुनर्वास स्थलों में बुनियादी ढांचे और सामाजिक सुविधाओं के पूर्ण प्रावधान को प्राथमिकता दें।
- 9 कनेक्टिविटी और शहर से संबंध  
- मौजूदा पुनर्वास कॉलोनियों के लिए सार्वजनिक परिवहन और अंतिम मील संपर्क को प्राथमिकता देना।
- 10 पुनर्वास केवल पास में और सभी सुख-सुविधाओं के परिपूर्ण होने के बाद  
- जे जे बस्ती के ३-५ किमी के भीतर पुनर्वास स्थल का कार्यान्वयन सुनिश्चित करना।  
- सभी सुविधाओं के होने के बाद ही पुनर्वास हो और निवास के लिए स्थान तैयार हो।